



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अनुभाग  
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, सातवाँ तल, ए-ब्लॉक,  
रक्षा कार्यालय परिसर, अफ्रीका अवेन्यू, नई दिल्ली -110023  
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,  
DEFENCE SERVICES,  
7<sup>th</sup> FLOOR, A-BLOCK, DEFENCE OFFICE COMPLEX,  
AFRICA AVENUE, NEW DELHI - 110023



कार्यालय आदेश भाग-11 संख्या: 1008

दिनांक: 27/12/2023

**कार्यालय आदेश**

भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली को निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में वेतन मैट्रिक्स (7वाँ सी.पी.सी) के स्तर 10 में उस तिथि से जब से वे नए पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे अगले आदेशों तक पदोन्नति का आदेश देने में प्रसन्नता हो रही है।

Consequent to the approval of The President of India, The Principal Director of Audit, Defence Services, New Delhi has been pleased to the promotion of following Assistant Audit Officers, as Senior Audit Officers in the Level – 10 of Pay Matrix (7<sup>th</sup> CPC) with effect from the date they take over charge as Sr. Audit Officer.

वह अपने वर्तमान नियुक्ति के कार्यालयों में अगले आदेशों तक तैनात रहेंगे।

They may be posted at their present office till further order.

क्रम सं. / S. No.	नाम (श्री/श्रीमति/कुमारी) Name (Shri/Smt./Ms.)	विशिष्ट पहचान / Unique ID	वर्तमान कार्यालय Present Place of posting
1.	Vipul Sharma	2348	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, आयुध निर्माणिया कानपुर
2.	Manoj Kumar	2367	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली
3.	Rajni Bala	1987	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली
4.	Harsh Thapliyal	2056	निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, मेरठ
5.	Sanjay Kisanrao Bhisare	2183	निदेशक लेखापरीक्षा(नौसेना), मुंबई
6.	Dilip Kumar	2309	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, (थल सेना) कोलकाता
7.	Sunil Lal	2324	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, (थल सेना) कोलकाता
8.	Ossi Chauhan	2341	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, दिल्ली छावनी

9.	Ashok Kumar	2484	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली
10.	Tamaj Chandra	2478	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, (थल सेना) कोलकाता
11.	Rajeev Kumar Bhatnagar	1836	निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, मेरठ
12.	Budhiman Kaithwas	2130	निदेशक लेखापरीक्षा, (आयुध निर्माणिया) जबलपुर
13.	Nagesh Rana	2638	निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, मेरठ
14.	Ram Shankar	2303	निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, प्रयागराज
15.	Narinder Kumar	2354	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली
16.	Bharat Lal Meena	2375	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, चंडीगढ़

अधिकारियों का वेतन GIO (2), FR 9 and rule 13 of CCS (revised pay) rules, 2016 and GIO (2-A), FR 22, read with DoPT के OM संख्या 13/02/2017 स्था./से-1 दिनांक 27/07/2017 के सन्दर्भ एफ. आर. एस. आर. 22-1 (अ) (1) के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा। फिर भी, यदि कर्मचारी को पूर्व में MACPS का लाभ मिल चुका है तो वेतन निर्धारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की जा. संख्या 35034/3/2015 स्था. (डी) दिनांक 22.10.2019 के पैरा 4 को संज्ञान में लेते हुए किया जाएगा। वह पदोन्नति की तारीख से एक माह के भीतर पदोन्नति पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

The Officers pay shall be fixed under GIO (2), FR 9 and rule 13 of CCS (revised pay) rules, 2016 and GIO (2-A), FR 22, read with DoPT OM No. 13/02/2017 Estt./-1 dated 27/07/2017 FRSR 22-1 (A)(1). However if the employee has already got the benefit of the MACPS, the pay fixation will be done taking into account Govt. of India, Ministry of Personal, Public Grievances and Pension (Department of Personnel and Training para (4) of OM No. 35034/3/2015 Estt.(D) dated 22.10.2019. They may exercise the option for pay fixation on promotion within one month from the date of promotion.

यह पदोन्नति SLC (C) संख्या 30621/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2018 को पारित किए गए निर्णय के अधीन है।

This promotion is subject to judgement passed by the Hon'ble Supreme Court dated 26.09.2018 in SLC (C) No. 30621/2011.

**संबंधित कार्यालय द्वारा, पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि इस कार्यालय में फैक्स/ई-मेल द्वारा सूचित की जाएं।**

**The actual dates of joining on promotion of the officer should be intimated by fax/email to this office.**

यदि वे अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार हैं तो उनके पदोन्नति आदेश में यह खंड सम्मिलित किया जायेगा कि ऐसी नियुक्ति तब तक अनन्तिम मानी जाएगी जब तक संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उनकी जाति की स्थिति की जांच नहीं कर ली जाती।

If they are SC/ST candidates, this promotion order will include a clause that such appointment will be considered provisional till the status of their caste is checked by the concerned authorities.

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, व्यय विभाग मंत्रालय(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की ज्ञा. संख्या फ.सं. 35034/3/2008-स्था(डी.) दिनांक 19.05.2009 अनुबंध 1, पैरा 25 के अनुसार पदोन्नति को अस्वीकार करने से संबंधित प्रावधान भी लागू होंगे।

The provisions related to the rejection of promotion under Govt. Of India, DoPT OM No. F. No. 35.34/3/2008-Estt(D) dated 19.05.2009 annexure 1, Para 25 will also apply.

भारत के राजपत्र दिनांक 20.11.2019 में जी.एस.आर. नं. 860(ई) दिनांक 18.11.2019 के द्वारा प्रकाशित, भारत के राजपत्र में भाग-II की धारा 3 उप-धारा (i) में अधिसूचित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम के अनुसूची 09 के कॉलम के अनुसार, उनके वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नति पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी।

As per the column 09 of the schedule of the Recruitment Rule for the post of Senior Audit Officer, notified in Para-II Section 3 Sub-section (i) of Gazette of India vide GSR No. 860(E) dated 18.11.2019 published in Gazette of India on 20.11.2019, on their promotion to the Senior Audit Officer cadre there shall be a 02 years probation period.

यह कार्यालय आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

This office order will be effective immediately.

— ५० —

(देव धर त्रिपाठी)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,  
रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।


संख्या: 4772 /डी.डी.ए.(मु.)/पी.पी/प्रशासन/2024

दिनांक: 27.12.2023

प्रति सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. भारत के नियंत्रक एवम् महालेखापरीक्षक, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. महानिदेशक (रक्षा), कार्यालय भारत के नियंत्रक एवम् महालेखापरीक्षक, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110001।
3. महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली - सचिवालय।
4. महानिदेशक लेखापरीक्षा (आयुद्ध निर्माणियां), कोलकाता।

5. महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौसेना), नई दिल्ली।
6. महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, चण्डीगढ़।
7. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वायुसेना), नई दिल्ली।
8. निदेशक (लेखापरीक्षा)-स्थानीय।
9. निदेशक (प्रतिवेदन)-स्थानीय।
10. उपनिदेशक (मुख्यालय)-स्थानीय।
11. निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, प्रयागराज।
12. निदेशक लेखापरीक्षा (नौसेना), मुम्बई।
13. निदेशक लेखापरीक्षा (आयुद्ध निर्माणयां), जबलपुर।
14. निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, मेरठ छावनी।
15. निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पटना ।
16. उपनिदेशक लेखापरीक्षा (आयुद्ध निर्माणयां), कानपुर।
17. उपनिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, दिल्ली छावनी।
18. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (थल सेना), कोलकाता।
19. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी(स्थापना)-स्थानीय ।
20. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी(आंतरिक नमूना लेखा परीक्षा)- स्थानीय।
21. वेतन एवम् लेखा अधिकारी(रक्षा लेखापरीक्षा), नई दिल्ली।
22. व्यक्तिगत फाईल।
23. जी.एल.।
24. कार्यालय आदेश भाग-॥ पंजिका।
25. डी.एंड आर.ए. सैल।
26. सभी संबंधित अधिकारी (जिनकी पदोन्नति की जा रही हैं।)

  
(देव धर त्रिपाठी) 27/12/23

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,  
रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।